**समयबद्ध/कोर्ट केस**

संख्या-6/2016/4/1/2002 टी.सी.-1/का-2/2016

प्रेषक,

**दीपक सिंघल**,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

**कार्मिक अनुभाग-2** लखनऊ, दिनांक: 27 जुलाई, 2016

विषय:- पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नत कार्मिकों को कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21.08.2015 एवं 27.11.2015 के अनुपालन में पदावनत किए गए कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्यावेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी.सी.-1-का-2/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 समसंख्यक पत्र क्रमशः दिनांक 22.09.2015 एवं 27.11.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संदर्भ में पुनः अवगत कराना है कि पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-2608/2011 यू.पी. पॉवर कॉर्पोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2012 को निर्णय/आदेश पारित किए गए है, जिनके प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-

"42. In the ultimate analysis, we conclude and hold that section 3(7) of the 1994 Act and the Rule 8-A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M.Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (supra) and without the aid or assistance of Section 3(7) and Rule 8-A shall remain undisturbed."

3. मा.सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन के संदर्भ में योजित अवमानना याचिका संख्या-214(सी.)/2013 अमर कुमार व अन्य बनाम जावेद उस्मानी व अन्य में दिनांक 24.11.2015 को मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत है-

------Taken on board. It has been submitted by Mr. Ravi Prakash Mehrotra, learned counsel appearing for the State that a paragraph that occurs

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

at page 5 of the order dated 13.10.2015 requires to be modified. The said paragraph reads as under :-

"Be it noted, it has been stated in the affidavit that if anyone is grieved by the order of reversion or in case of any grievance that a person ought to have been reverted, if raised, shall be decided on top priority by the State Government. We inquired from Mr. Mehrotra, learned counsel for the State that who would be the competent authority who will decide it, learned counsel has submitted that he has instructions to state that Principal Secretary, Department of Personnel, State of U.P., shall decide the same. If anyone is grieved by the decision taken by the said authority, the said person is entitled to file an interlocutory application before this Court in the disposed of Civil Appeal No. 2608 of 2011 and connected appeals, so that suitable order can be passed. The purpose of stating so is that no other court shall entertain the challenge to the grievance of any person." It is contended by Mr. Mehrotra that there are around one thousand representations/grievance petitions and a singular authority is not in a position to take the decision on the same. It is urged by him that instead of Principal Secretary, Department of Personnel, State of U. P., it may be substituted as Principal Secretary/Head of the Department in respect of employees of the State, and the Managing Director of the Corporations (Competent Authority/Appointing Authority) who shall decide the petitions in respect of the employees of the Corporation. The said prayer is accepted. At this juncture, it is necessary to further add that anyone who shall make a representation mitigating its grievance, shall be afforded an opportunity of hearing and the concerned authority, as mentioned hereinabove, shall decide the same within a period of eight weeks from the date of receipt of the representation. The persons who have not submitted the representation mitigating their grievance, may submit the petitions/representations within four weeks hence. Anyone who is grieved by the decision of the competent authority, will be entitled to file an application in the disposed of Civil Appeal and other connected appeals, as has been mentioned in the earlier order . We may hasten to add that the competent authority shall pass a reasoned order so that it can be appreciated by this Court. Needless to emphasise that any representation which has to be decided, has to be in the light of the principles enshrined in U.P. Power Corporation Ltd. Vs. Rajesh Kumar & Others reported in (2012) 7 SCC 1. Needless to say, the competent authority shall be guided by the principles of objectivity while passing the order. The order dated 13.10.2015 is modified to the above extent."

4. उल्लेखनीय है कि मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में मा.सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष "आई.ए." संख्या-11,12,13,14,15,16,17 एवं 18/2016 दाखिल की गई हैं, जिनमें मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किए गए हैः-

> Let the matter be listed on 9.8.2016.
> The Chief Secretary of the State of Uttar Pradesh shall remain personally present in the Court on that day at 10.30 a.m..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. अतः कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित संदर्भित आई.ए., विशेषकर आई.ए. संख्या-11,12,13,14,15,16,17 एवं 18/2016 के सम्बन्ध में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए दिनांक 28.07.2016 के पूर्व अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तदनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.08.2016 को नियत व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु समुचित तैयारी की जा सके।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( **दीपक सिंघल** )
मुख्य सचिव।

संख्या-6/2016/4/1/2002 टी.सी.-1(1)/का-2/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त शासनादेश की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
4. सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( **किशन सिंह अटोरिया** )
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in